संख्या 05/ /रा0पु0/वि0क0अ0/63/2003

प्रेषक,

सचिव,
पुनर्गठन,
उत्तरांचल शासन,देहरादून।

सेवा में,

**समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,**
उत्तरांचल शासन,
देहरादून।

पुनर्गठन विभाग — दिनांक: 03 जनवरी, 2003

**विषयः– राज्य सेवा संवर्गों के अधिकारियों / कर्मचारियो को कार्यमुक्त करने की प्रकिया /व्यवस्था ।**

महोदय,

कृपया पुनर्गठन आयुक्त, उत्तरांचल के पत्रांक संख्या 527/रा0प0रा0/2001 दिनांक 5मई,2001(छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उपरोक्त के सम्बन्ध में यह अवगत कराने का निर्देश हुआ है कि राज्य सेवा संवर्ग के अधिकारियों एवं कर्मचारियो के दोनो उत्तरवर्ती राज्यों के मध्य कार्मिकों के आवंटन हेतु उ0प्र0पुनर्गठन अधिनियम 2000 के प्राविधानों के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा राज्य परामर्शीय समिति का गठन किया गया है। दिनांक 28.4.2001 को समिति की प्रथम बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में कार्मिकों का आवंटन निम्न प्रक्रियानुसार किया जाना है:–

"उत्तरांचल के समस्त विभागाध्यक्षों के द्वारा ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों को चिन्हित करके उनकी संवर्गवार पृथक पृथक सूची संलग्न प्रारूप में बनाकर व सत्यापित करके अपने प्रशासनिक विभाग को प्रेषित की जायेगी। सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग के द्वारा उक्त सूची का परीक्षण करने के उपरान्त पुनर्गठन आयुक्त,उत्तरांचल शासन,लखनऊ को इस संस्तुति के साथ प्रेषित की जायेगी की सूची के सम्बन्धित कार्मिकों को राज्य परामर्शीय समिति के द्वारा उत्तरांचल से उ0प्र0 के लिए कार्यमुक्त

करने हेतु निर्देशित किया जाय। पुनर्गठन आयुक्त,उत्तरांचल शासन,लखनऊ के द्वारा सदस्य सचिव–राज्य परामर्शीय समिति,जिन्हें समिति के द्वारा उत्तरांचल एवं उ0प्र0 में तैनात कर्मियों को अवमुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया है,की सूची प्रस्तुत कर अवमुक्त करने का अनुरोध किया जायेगा। तदोपरान्त समिति रा0प0स0 के द्वारा पुनर्गठन आयुक्त,उत्तरांचल शासन से परामर्श करके कार्यमुक्त करने हेतु समुचित निर्देश समिति की ओर से जारी किये जायेंगे जिसे पुनर्गठन आयुक्त,उत्तरांचल शासन के माध्यम से उत्तरांचल के विभागों को अनुपालन करने हेतु प्रेषित किये जायेंगे।

अतः अनुरोध है कि उ0प्र0 विकल्पधारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उक्त प्रकिया एवं व्यवस्था के अनुरूप कार्यमुक्त करने से सम्बन्धित प्रस्तावों को पुनर्गठन आयुक्त,उत्तरांचल शासन,लखनऊ जिसका कार्य वर्तमान में **श्रीमती हेमलता–ढौंडियाल,अपर पुनर्गठन आयुक्त** द्वारा देखा जा रहा है,प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि तदनुसार कार्मिकों को कार्यमुक्त करने हेतु रा0प0स0 समिति से आदेश पारित कराये जा सकें। उक्त के अतिरिक्त यह भी अनुरोध करना है कि जिन विभागों द्वारा उत्तरांचल राज्य में कार्यरत उ0प्र0 विकल्पधारी कार्मिकों को उ0प्र0 राज्य हेतु कार्यमुक्त करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर रा0प0स0 से अनुमोदन/सहमति प्राप्त करने हेतु इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है,में उल्लिखित कार्मिकों को बिना पुनर्गठन आयुक्त के कार्यालय की सहमति के एकतरफा उ0प्र0 राज्य हेतु कार्यमुक्त न किया जाय। इस हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या–39/पुनर्गठन/वि.का.अ./45ए/2002,दिनांक 20दिसम्बर,2002 द्वारा पूर्व में भी लिखा गया है। अतः अनुरोध है कि उक्त का पालन कड़ाई से सुनिश्चित कराएं।

भवदीय,

( ए.एस. नपलच्याल )
सचिव,पुनर्गठन।